महत्वपूर्ण एवं खास

विधानसभा नामांकन का अंतिम तिथि आज

सारंगढ़ बिलाईगढ़। छत्तीसगढ़ विधानसभा 2023 अंतर्गत अभ्यर्थियों को नामांकन पत्र प्राप्त करने और जमा करने की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर 2023 सोमवार को प्रातः 11 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक निर्धारित है। जिले के दोनों विधानसभा सीट अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित है। संबंधित वर्ग के अभ्यर्थी अमानत राशि पांच हजार रुपए जमा कर नाम निर्देशन पत्र प्राप्त कर आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा कर सकते हैं। कलेक्टोरेट सारंगढ़ में विधानसभा क्षेत्र 17-सारंगढ़ और विधानसभा क्षेत्र 43-बिलाईगढ़ के लिए नाम निर्देशन पत्र प्राप्त और जमा किया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी नामांकन पत्र अभी तक एक बार भी नहीं भरे हैं या किसी और अभ्यर्थी का नामांकन देखना चाहते हैं। नामांकन में क्या-क्या दस्तावेज संलग्न करने की जरूरत होती है। इन सारी चीजों को नहीं जानते होंगे तो वे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय छत्तीसगढ़ के वेबसाइट सीईओछत्तीसगढ़ डॉट एनआईसी डॉट इन लिंक https://election.cg.gov.in/ceochhattisgarhwebsite में राज्य के किसी भी जिले के किसी भी विधानसभा में अब तक भरे हुए दो-चार अभ्यर्थी का नामांकन पत्र का अवलोकन कर आसानी से नामांकन भर सकते हैं।

आठ लाख के गांजे के साथ तस्कर गिरफ्तार, यूपी से छत्तीसगढ़ में कर रहा था तस्करी

पिथौरा (आरएनएस)। महासमुंद जिले में मादक पदार्थ गांजा की तस्करी करते पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए आरोपी के कब्जे से 16 किलो गांजा जब्त किया गया है, जिसकी कीमत करीबन 8 लाख रुपए बताई जा रही है. यह कार्रवाई बसना थाना पुलिस ने की है. बता दें कि बसना पुलिस वाहनों की चेकिंग कर रही थी. इस दौरान प्लेटिना मोटर साइकिल क्र. क्क14स्नह 1560 से करीब 8 लाख रुपए का 16 किलो गांजा जब्त किया गया. इसके बाद पुलिस ने गांजा की तस्करी करने वाले उत्तर प्रदेश निवासी वीरेंद्र कुमार विश्वकर्मा को गिरफ्तार कर लिया।

वंशज नशीने ने राज्य स्तरीय शालेय बास्केटबॉल प्रतियोगिता में प्राप्त किया गोल्ड मेडल

महासमुंद (आरएनएस)। वाइडनर स्कूल के छात्र वंशज नशीने ने राज्य स्तरीय शालेय बास्केटबॉल प्रतियोगिता में लगातार तीसरी बार उत्कृष्ट प्रदर्शन कर पुन: गोल्ड मेडल प्राप्त किया वे अपना प्रशिक्षण अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षक कालवा राजेश्वर राव व अंतर्राष्ट्रीय कोच राधा राव से ले रहे है पूर्व मे भी राष्ट्रीय स्तर पे खेल चुके वंशज नशीने की इस उपलब्धि मे शाला प्रमुख फादर थॉमस टीसी, व शाला परिवार की और से बधाई दी गई व उनके उज्वल भविष्य की कामना की गई।

पुरानी रंजिश के चलते युवक को पीटा, मामला दर्ज

रायपुर (आरएनएस)। रायपुरा चौक ओव्हरब्रीज के पास पुरानी रंजिश के चलते एक युवक ने दूसरे युवक पर धारदार हथियार से हमला कर चोट पहुंचाया। प्रार्थी की शिकायत पर डीडीनगर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी अख्तर मोहम्मद 32 वर्ष ईदगाहभाठा का रहने वाला है। बताया जाता है कि आरोपी असरफ अली ने पुरानी रंजिश के चलते प्रार्थी से गाली-गलौज कर धारदार हथियार से मारकर चोट पहुंचाया। प्रार्थी की शिकायत पर डीडीनगर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 294, 506, 323 के तहत अपराध दर्ज कर जांच में लिया है।

विधानसभा आम निर्वाचन-2023

चारों विधान सभाओं के लिए नियुक्त जनरल ऑब्जर्वर पहुंचे रायगढ़

❒ कंट्रोल रूम्स का निरीक्षण कर निर्वाचन कार्यों का लिया जायजा

❒ ईवीएम वेयर हाऊस का भी किया निरीक्षण

रायगढ़। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा रायगढ़ जिले के चारों विधान सभाओं के लिए नियुक्त जनरल ऑब्जर्वर आईएएस रूपांजलि कार्तिक, आईएएस सी.एन.लोंगफाई, आईएएस ससीम कुमार बरई एवं आईपीएस लुनसिह किपगेन शाम रायगढ़ मुख्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने निर्वाचन कार्य के गतिविधियों का जायजा लेते हुए निर्वाचन कार्यों को संपादित करने बनाए विभिन्न इकाईयों तथा कंट्रोल रूम का निरीक्षण कर कामकाज के बारे में जानकारी ली।

सभी ऑब्जर्वर कलेक्टोरेट में स्थित सी-विजिल कंट्रोल रूम में पहुंचे, यहां उन्होंने सी-विजील के माध्यम से फ्लाइंग स्क्वायड टीम एवं स्थैतिक निगरानी टीम की मॉनिटरिंग के संबंध में जानकारी लेते हुए शिकायतों तथा निराकरण की जानकारी ली। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कार्तिकेया गोयल ने जिले के फ्लाइंग स्क्वायड टीम एवं स्थैतिक निगरानी टीम द्वारा वर्तमान में किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि ऐप के माध्यम से प्राप्त शिकायतों को संबंधित लोकेशन के टीम के पास फॉरवर्ड कर दिया जाता है जिसका निराकरण संबंधित एफएसटी करती हैं।

इसके पश्चात उन्होंने मतदाता सुविधा केंद्र का निरीक्षण किया। यहां उन्होंने शिकायतों से संबंधित जानकारी लेते हुए पंजी का अवलोकन किया। निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण कंट्रोल रूम में प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र के व्यय मॉनिटरिंग की जानकारी लेते हुए वीवीटी द्वारा किए जा रहे वीडियो अवलोकन कार्यों की जानकारी ली। मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति (एमसीएमसी)सेल का निरीक्षण कर कामकाज की जानकारी ली। इस दौरान पोस्टल बैलेट, ईडीसी कक्ष में पहुंचे एवं संबंधित मतदाताओं की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान जनरल आब्जर्वर ईवीएम कंट्रोल रूम भी पहुंचे। यहां उन्होंने ईवीएम कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया एवं सुरक्षा मानकों की जानकारी ली। इस दौरान एसएसपी सदानंद कुमार, सीईओ जिला पंचायत जितेन्दर यादव, अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजीव कुमार पाण्डेय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय महादेवा, सहायक कलेक्टर युवराज मरमट, एसडीएम रोहित सिंह एवं गगन शर्मा, डिप्टी कलेक्टर रमेश मोर सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

कोतवाली पुलिस ने गुम बालक को महज 1 घंटे में ढूंढकर परिजन को सौंपा

❒ गुम बालक की सूचना पर कोतवाली टीआई ने दिखाए तत्परता

रायगढ़। दिनांक 29/10/2023 के रात्रि करीब 9:00 बजे पुलिस कंट्रोल रूम द्वारा गोवर्धनपुर थाना चक्रधरनगर क्षेत्र का 8 वर्षीय बालक के शाम घर से बिना बताए कहीं चले जाने की सूचना सभी थाना, चौकी को प्रसारित कर गुम बालक की अपने - अपने क्षेत्र में पतासाजी का निर्देश दिया गया। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा शहर के सभी थाना प्रभारी को विशेष कर मार्केट एरिया, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन आदि को शीघ्र चेक करने निर्देशित किया गया। गुम बालक की सूचना को थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक शनिप रात्रे द्वारा गंभीरता से लेते हुए अपने सूत्रों के जरिए गुम बालक के परिजनों से संपर्क साध कर बालक का फोटोग्राफ्स प्राप्त किये और उन्हें अपने स्टाफ को शेयर कर शीघ्र क्षेत्र में पतासाजी करने का निर्देश दिए तथा पेट्रोलिंग पार्टी को मार्केट एरिया में विशेष रूप से लोगों से पूछताछ कर खोजबीन का निर्देश दिए जिस पर थाने की पेट्रोलिंग पार्टी द्वारा गुम बालक की खोजबीन कर रही थी। पेट्रोलिंग पार्टी को गुम बालक बीडपारा के पास भटकता हुआ मिला जिसे पेट्रोलिंग के प्रधान आरक्षक नरेंद्र यादव और आरक्षक गोविंद पटेल थाने लेकर आए। थाना प्रभारी शनिप रात्रे द्वारा बालक की मानसिकता को ध्यान में रखते हुए उसे बिस्कुट, चिप्स खिलाये और सहज भाव से पूछताछ किये , बालक द्वारा बाजार घूमने आना और रास्ता भटक जाना बताया। शनिप रात्रे ने बालक बिना बताए घर से कहीं नहीं जाने की नसीहत दिये। पेट्रोलिंग स्टाफ द्वारा बालक को उसके घर ले जाकर उसके परिजनों को सकुशल सुपुर्द किया गया है।

घरघोड़ा पुलिस और फ्लाईंग स्क्वॉड के सघन जांच में स्वीफ्ट कार से 1.50 लाख रुपए नगद बरामद

❒ चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुरूप घरघोड़ा पुलिस ने जब्त की संदिग्ध रकम

रायगढ़। जिले में स्थैतिक निगरानी दल (SST Team) एवं फ्लाईंग स्क्वॉड (FST) के अतिरिक्त सक्रिय पुलिस टीमें मादक पदार्थों एवं निर्वाचन व्यय के संबंध में संदिग्ध रकम/वस्तुओं की कड़ी निगरानी कर रही है।

इसी क्रम में दिनांक 29.10.2023 को थाना घरघोडा क्षेत्र अंतर्गत FST टीम एवं घरघोडा पुलिस की संयुक्त कार्यवाही दौरान घरघोडा जय स्तम्भ चौक के पास वाहनों की चेकिंग दौरान स्वीफ्ट कार क्रमांक सीजी 11 AT 1604 को चेक किया गया कार में सवार अब्दूल रज्जाक पिता कलिम उद्दीन उम्र 53 वर्ष निवासी धनगढा गरूमारा किशनगंज बिहार के पास रखे बैग को चेक करने पर बैग में 01 लाख 50 हजार रूपये बरामद हुआ। पूछताछ में कैश के संबंध में संबंधित व्यक्ति के द्वारा कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाए और ना ही कोई वैध कागजात प्रस्तुत किया गया। पुलिस द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन के दृष्टिगत कुल नकद 1,50,000 रूपये की विधिवत जप्ती कार्यवाही कर निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आगे की कार्यवाही की जा रही है। उक्त कार्यवाही में विशेष कार्यपालिक मजिस्ट्रेट राजेश रोशन डनसेना, सउनि राजेश मिश्रा, आर. दिनेश सिदार, वन रक्षक ओम प्रकाश नायक, कैमरा मेन दीपक राठिया की मुख्य भूमिका रही है। थाना प्रभारी घरघोड़ा निरीक्षक शरद चंद्रा द्वारा निर्वाचन कार्यालय रायगढ़ को कार्रवाई की जानकारी से अवगत कराते हुए मीडिया से जानकारी साझा किया गया है।

ध्वनि प्रदूषण को लेकर पुलिस प्रशासन सख्त : मेले में देर रात तक डीजे बजने वाले 3 डीजे साउंड सिस्टम जब्त

❒ दुर्गा मेला स्थल पर देर रात डीजे बजाने की सूचना पर थाना प्रभारी लैलूंगा ने की कार्रवाई

❒ डीजे संचालकों को बताया गया हाईकोर्ट और जिला प्रशासन की गाइडलाइन

रायगढ़। ध्वनि प्रदूषण को लेकर जिला प्रशासन एवं पुलिस बेहद गंभीर है तथा नियमों के उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। माननीय उच्चतम/ उच्च न्यायालय के आदेशानुसार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायगढ़ सदानंद कुमार द्वारा बिना अनुमति एवं देर रात डीजे चलने वालों पर प्रभावी रूप से कार्यवाही का निर्देश सभी थाना, चौकी प्रभारियों को दिया गया है, निर्देशों पर शहर एवं लैलूंगा थाना क्षेत्र में लगातार कार्रवाई देखी गई है।

इसी कड़ी में रात गस्त पेट्रोलिंग दौरान 29 अक्टूबर के करीब 02:00 बजे थाना प्रभारी लैलूंगा निरीक्षक मोहन भारद्वाज को ग्राम राजपुर से मुखबीर के जरिए द्वारा दुर्गा मेला सार्वजनिक स्थल पर तेज आवाज में डीजे बनाने की सूचना मिला, सूचना पर तत्काल टीआई लैलूंगा अपने स्टाफ के साथ ग्राम राजपुर बथानपारा दुर्गा मेला स्थल पर पहुंचे, जहां 3 अलग-अलग स्थानों पर तेज आवाज में डीजे साउंड सिस्टम बजते मिला। थाना प्रभारी द्वारा तीनों डीजे संचालक वीरेंद्र कुमार प्रधान, श्रवण बंसल और फिलमोन कुजूर को मौके पर बुलाकर जानकारी दिया गया कि माननीय उच्च न्यायालय एवं जिला प्रशासन द्वारा ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग के लिए निर्देश जारी किया गया है जिनके अनुसार रात्रि 10:00 बजे के बाद डीजे बजाना कोलाहल अधिनियम एवं अनुज्ञा का उल्लंघन है तथा उनके कृत्य पर तीनों डीजे संचालकों के कुल - डीजे साउंड सिस्टम के 14 बाक्स , 6 नग एमप्लीफायर, 6 नग कॉर्डलेस माइक, 4 चोंगा और 1 जनरेटर की जब्ती कर थाने लाया गया। डीजे संचालकों को हिदायत दिया गया है कि समय सीमा के भीतर, निर्धारित ध्वनिसीमा में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग करें अन्यथा पुलिस कार्रवाई करेगी। एसडीओपी धरमजयगढ़ दीपक मिश्रा के मार्गदर्शन पर तीनों डीजे संचालक (1) श्रवण बंसल पिता सत्यानारायण बंसल उम्र 34 साल निवासी बाजारपारा लैलूंगा (2) फिलमोन कुजूर पिता विजय कुजूर उम्र 25 साल निवासी रूपडेगा थाना लैलूंगा (3) वीरेंद्र कुमार प्रधान पिता भारत लाल प्रधान उम्र 32 साल निवासी राजगांव थाना लैलूंगा पर थाना लैलूंगा में कोलाहल अधिनियम 1985 की धारा 10, 15 के तहत कार्यवाही किया गया है। कार्यवाही में निरीक्षक थाना प्रभारी लैलूंगा मोहन भारद्वाज, सहायक उप निरीक्षक कमल सिंह राजपूत एवं हमराह स्टाफ शामिल थे।

चार आरोपियों से 108 पाव देशी प्लेन शराब जब्त

❒ अवैध शराब की ब्रिकी पर कोतवाली पुलिस ने अभियान चलाकर की कार्रवाई

रायगढ़। एसएसपी सदानंद कुमार के निर्देशन पर अवैध शराब बिक्री पर कार्यवाही के क्रम में दिनांक 28/10/2023 के रात्रि थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक शनिप रात्रे के नेतृत्व में कोतवाली पुलिस द्वारा मुखबिर सूचना पर रायगढ़-पूंजीपथरा मार्ग पर 18 नाला के पास शराब रेड कार्यवाही कर एक व्यक्ति को पैदल बोरी में शराब रखकर पूंजीपथरा की ओर जाते हुए पकड़ा गया।

थाना प्रभारी कोतवाली को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम लाखा का रहने वाला गोलू यादव रायगढ़ से शराब लेकर पूंजीपथरा क्षेत्र में अवैध रूप से बिक्री करता है । थाना प्रभारी द्वारा संदेही गोलू यादव को शराब के साथ पकड़ने अपने स्टाफ और मुखबिर तैनात कर रखा गया था जिस पर मुखबीर की सूचना पर संदेही गोलू यादव को रेड कर पकड़ा गया जिसके पास रखे बोरे के अंदर 72 पाव देशी प्लेन शराब कीमत रु. 5,760 का बरामद हुआ जिसकी विधिवत जप्ती कर आरोपी गोलू यादव पिता अंतराम यादव उम्र 24 साल निवासी बोडसरा थाना जैजैपुर जिला सक्ती हाल मुकाम लाखा थाना कोतवाली जिला रायगढ पर थाना कोतवाली में धारा 34(2),59 (क) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक शनिप रात्रे के नेतृत्व में शराब रेड कार्यवाही में प्रधान आरक्षक हेमंत पात्रे, आरक्षक जगमोहन ओग्रे और उत्तम सारथी शामिल थे।

वहीं दिनांक 29/10/2023 के सुबह टीआई शनिप रात्रे के नेतृत्व में सहायक उप निरीक्षक दिलीप बेहरा, आरक्षक कोमल तिवारी, सुशील मिंज, महिला आरक्षक कस्तुरी राठिया द्वारा क्षेत्र में अवैध शराब की बिक्री की सूचना पर अभियान के तहत छापेमार कार्रवाई किया गया जिसमें स्टेशन रोड माल धक्का के पास मयंक सिदार उर्फ सत्यम पिता लक्ष्मी सिदार उम्र 32 साल निवासी जेलपारा रायगढ़ के पास से 13 पाव देशी मदिरा (मशाला), बड़पारा पुल के पास समरीन सारथी पति विजय सारथी निवासी चांदनी चौक रायगढ़ के पास से 12 पाव देशी मदिरा प्लेन तथा धांगरडिपा तिराहा के पास आरोपी किशन देवांगन पिता साधराम देवांगन उम्र 32 साल निवासी धांगरडिपा से देशी प्लेन व देशी मदिरा मशाला की 11 पाव की जप्ती की गई है।

इस प्रकार तीन आरोपियों से 36 पाव मदिरा कीमती रु. 3,360 का शराब जप्त कर आरोपियों पर पृथक-पृथक आबकारी एक्ट के 3 प्रकरण बनाये गये हैं , अवैध शराब के विरुद्ध जिले में कार्यवाही जारी है।

ग्राम खेदापाली में छाल पुलिस ने की अवैध शराब और जुआ रेड की कार्यवाई

❒ ग्राम कुकरीचोली में भी अवैध शराब के साथ आरोपी गिरफ्तार

रायगढ़। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार के निर्देशन एवं एसडीओपी खरसिया प्रभात पटेल के मार्गदर्शन पर छाल पुलिस द्वारा थाना प्रभारी निरीक्षक त्रिनाथ त्रिपाठी के नेतृत्व में क्षेत्र में अवैध शराब एवं सुआ-सट्टा पर कार्यवाही किया जा रहा है। इसी क्रम में दिनांक 28.10.2023 को छाल पुलिस द्वारा ग्राम ग्राम खेदापाली के अरूण धीरज पिता लीलकंठ धीरज उम्र 33 वर्ष के घर शराब रेड कार्यवाही कर आरोपी के कब्जे से अवैध बिक्री के लिये रखी हुई 4 लीटर महुआ शराब की जप्ती की गई है।

वहीं ग्राम खेदापाली के धुल चौक लात खदान जाने वाले रास्तें में सड़क किनारे 52 पत्ती तास से जुआ खेल रहे जुआरियों को छाल पुलिस द्वारा घेराबंदी कर पकड़ा गया है। पकड़े गये जुआरियान (1) राजेश पटेल पिता गंगाराम पटेल उम्र 27 वर्ष साकिन लीमतरा थाना सक्ति जिला सक्ती (2) रामेश्वर केवट पिता ननकु केवट उम्र 35 वर्ष साकिन कुसमुसी थाना भैयाथान जिला सुरजपुर (3) विक्रम रौतिया पिता घुरवाराम रौतिया उम्र 28 वर्ष साकिन कुधरी थाना डभरा जिला सक्ती के फड एवं पास से नकदी रकम रु. 2,400 की जप्ती की गई है।

इसी क्रम में दिनांक 29/10/2023 को ग्राम कुकरीचोली में शराब रेड कार्यवाही कर छाल पुलिस द्वारा आरोपी अच्छेलाल राठिया पिता चमरू राम राठिया उम्र 33 वर्ष निवासी थाना छाल को 4.5 लीटर महुआ शराब के साथ पकड़ा गया है। आरोपियों पर थाना छाल में आबकारी एक्ट एवं जुआ एक्ट की विधिवत कार्रवाई किया गया है जो आगे भी जारी रहेगा।

कलेक्टर ने ली सेक्टर अधिकारियों की बैठक

सारंगढ़ बिलाईगढ़। कलेक्टर डॉ. फरिहा आलम सिद्दीकी ने शाम 4 बजे जिले के सेक्टर अधिकारियों की बैठक ली। कलेक्टर डॉ. सिद्दीकी ने सभी सेक्टर अधिकारियों को वोटिंग मशीन-बीयू, सीयू, व्हीव्हीपैट के तार को कैसे जोड़ा जाता है, को प्रत्यक्ष जोड़कर बताया और वीडियो के माध्यम से समझाया गया।

बैठक में सेक्टर अधिकारियों को सभी कार्य निर्वाचन नियमानुसार करने, मतदाता के 18 वर्ष आयु होने के शंका की स्थिति में जन्म प्रमाण पत्र या घोषणा पत्र के साथ मतदान करने की अनुमति दी जाने की प्रक्रिया, शाम 5 बजे के 5 मिनट पूर्व घोषणा और मतदान केन्द्र में लाइन लगे मतदाताओं के अंतिम व्यक्ति को प्रथम टोकन देते हुए लाइन के प्रथम व्यक्ति को अंतिम टोकन देने, मतदान केन्द्र में सभी उम्मीदवारों के साथ समान व्यवहार करने के लिए कहा गया। इसके साथ-साथ निर्वाचन पुस्तिका 'किया जावे' और 'न किया जावे' के बारे में सूक्ष्म जानकारी दी गई। इस अवसर पर अपर कलेक्टर निष्ठा पांडेय तिवारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी प्रकाश भारद्वाज, रिटर्निंग अधिकारी एवं एसडीएम द्वय मोनिका वर्मा, डॉ. स्निग्धा तिवारी, डिप्टी कलेक्टर टी.आर. महेश्वरी सहित मास्टर ट्रेनर चूड़ामणि गोस्वामी, एस.आर. अजय, चन्द्रा आदि उपस्थित थे।

कलेक्टर डॉ. सिद्दीकी एवं एसपी आशुतोष सिंह ने ली एफएसटी दलों का बैठक

सारंगढ़ बिलाईगढ़। कलेक्टर डॉ. फरिहा आलम सिद्दीकी और पुलिस अधीक्षक आशुतोष सिंह ने कलेक्टोरेट सभाकक्ष में प्रातः 9.30 बजे जिले के सीमा पर तैनात स्थैतिक निगरानी दल (एफएसटी) और फ्लाइंग स्क्वॉड दल का बैठक लिया।

बैठक में आदर्श आचरण संहिता के बाद सारी निर्वाचन गतिविधियों और कार्यवाही के बारे में जानकारी ली गई। कलेक्टर डॉ. सिद्दीकी ने टीम के सदस्यों से उनके कार्य के बारे में जानकारी देने के लिए कहा। डॉ. सिद्दीकी ने कहा कि होर्डिंग्स के लिए रिटर्निंग अधिकारी या संबंधित अधिकारी से अनुमति के बाद ही लगाया जाएगा, नही तो संपत्ति विरूपण के मामले में उसे जप्त किया जाएगा। इसी प्रकार किसी भी बैनर, पोस्ट, झंडे आदि के लिए मकान या दुकान मालिक का सहमति होना अनिवार्य है अन्यथा जप्त किया जाएगा।

बैठक में पुलिस अधीक्षक आशुतोष सिंह ने कहा कि सभी दल चेकपोस्ट में अस्थाई ब्रेकर व्यवस्था बनाकर चेकिंग करें आवश्यकता अनुसार सुरक्षा बल उपलब्ध कराया जाएगा। वर्तमान में अन्तर्राज्यीय सीमा, स्टेट हाईवे आदि में कई टीमें कार्य कर रही हैं। इनमें 23 नाके, 10 अर्न्तराज्यीय नाका, वन विभाग के चेकपोस्ट आदि कार्यरत हैं।

कलेक्टर ने ली मास्टर ट्रेनरों की बैठक

कलेक्टर डॉ. फरिहा आलम सिद्दीकी ने दोपहर 12 बजे जिले के मास्टर ट्रेनरों का बैठक लिया। बैठक में पीठासीन अधिकारियों को मतदान केन्द्र पहुंचने पर, वहां की व्यवस्था, मतदान के प्रारंभ में, मतदान के दौरान सावधानियां, असामान्य एवं जटिल मामले, मतदान का समापन, दर्ज वोटों का लेखा, मतदान समाप्ति के बाद वोटिंग मशीनों और दस्तावेजों की सीलिंग आदि के बारे में बताया गया। इस अवसर पर निर्वाचन पुस्तिका 'किया जावे' और 'न किया जावे' के बारे में सूक्ष्म जानकारी दी गई। इस अवसर पर अपर कलेक्टर निष्ठा पांडेय तिवारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी प्रकाश भारद्वाज, रिटर्निंग अधिकारी एवं एसडीएम द्वय मोनिका वर्मा, डॉ. स्निग्धा तिवारी, डिप्टी कलेक्टर टी.आर. महेश्वरी सहित मास्टर ट्रेनर चूड़ामणि गोस्वामी, एस.आर. अजय, चन्द्रा आदि उपस्थित थे।

इस अवसर पर अपर कलेक्टर निष्ठा पांडेय तिवारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी प्रकाश भारद्वाज, रिटर्निंग अधिकारी एवं एसडीएम द्वय मोनिका वर्मा, डॉ. स्निग्धा तिवारी, डिप्टी कलेक्टर टी.आर. महेश्वरी, एएसपी निवेदिता पॉल, एफएसटी एवं कोषालय अधिकारी चन्द्रपाल सिंह ठाकुर, सीआरपीएफ के अधिकारी सचिन नाथ, सीआईएसएफ के अधिकारी विजेन्द्र सिंह आदि उपस्थित थे।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-२21359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com, RNI NO :- CHHHIN/2018/76480